

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर ₹ 200000/- (छः लाख रूपए) एवं 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 300000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 230000/- (दो लाख तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलापदाधिकारी /श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्ता का खीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सुभाष यादव उर्फ सुभग यादव, श्री जय किशन यादव, पि० वर्ग	श्रीमती आशा देवी(पत्नी)	11/03.01.18	ग्रा०-भलुहीपुर, पो०+था०. +प्र०-आरा, भोजपुर(आरा)	74130100 047230	मध्य विहार ग्रामीण बैंक, मीरगंज, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पण्डी में पालदारी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० मुन्ना गिरि, श्री विनोद गिरि, पि० वर्ग	श्रीमती चाँदनी देवी(पत्नी)	12/03.01.18	ग्रा०+पो०+प्र०-गड़हनौ, था०-चरपोखरी, भोजपुर(आरा)	34518184 908	भारतीय स्टेट बैंक, गड़हनौ, SBIN0011806	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, मिटटी कटाई के व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० लक्ष्मणा देवी, अनु० जाति	श्री छोटन शर्मा(पति)	23/08.01.18	ग्रा०-पाण्डेयडिह,पो०-कुम्हैला, था०+प्र०-चरपोखरी, भोजपुर(आरा)	21720017 00042787	पंजाब नेशनल बैंक, पसौर, PUNB0217200	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेती खलीहान के व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 230000/-

(दो लाख तीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं० 8.)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-39/2015 के पृष्ठ-58/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।



ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 2300000/- (दो लाख तीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को उनके ज्ञापांक 11, 12 दिनांक 03.01.18 एवं 23 दिनांक 08.01.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015-55

पटना, दिनांक :- 08-02-18

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।